न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 214/2011

रज्जु दिनांकः 18/07/2011

निर्णय दिनांक : 08/08/2016

भारमल पुत्र भोलू जाति जाट निवासीः पानवाकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री राजेन्द्र गुर्जर एडवोकेट

श्री महेन्द्र सिंह नाथावत एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक : 08/08/2016

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 813 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 816 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर, वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है। आराजी के साबिक खसरा नंबर 727 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा रहे है जिस पर वादी के पिता भोलू पुत्र गंगाराम जमाना जागिर से काबिज काश्त थे और इस प्रकार विधिनुसार काश्तकारी अधिकार अधिनियम प्रभाव में आने पर वे विधिक प्रभाव से आराजीयात के खातेदार काश्तकार हो गये परन्तु राजस्व कर्मियो की त्रुटिवश उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवाचयक दर्ज हो गई जिसकी जानकारी वादी के पिता को नहीं हुई और वो

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

लगातार आराजीयात पर काश्त करते रहे। इस दरमियान राजस्व अभियानो में प्रार्थी के पिता को आराजीयात सिवायचक दर्ज होने की जानकारी हुई तो प्रार्थी के पिता ने आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर आराजी 50 वर्ष पूर्व दिनांक 09.09.1960 को प्रार्थी के पिता भोलू पुत्र गंगाराम जाट को आवंटित कर दी गई जिसका नामान्तकरण संख्या 43 वर्ष 1961 भी गैर खातेदारी का भरा जाकर तस्दीक हो गया तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 259 के द्वारा वादी के पिता को खातेदारी प्रदान कर दी गई एवं तत्पश्चात जब तक वादी के पिता जीवित रहे इस पर काबिज काश्त रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादी आराजीयात पर काबिज काश्त है। वादी भोलू पुत्र गंगाराम का एकमात्र पुत्र है और वह उपरोक्त प्रकार से अपने पिता की खातेदारी की आराजीयात का अधिकारी है एवं मौके पर काबिज काश्त होकर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वर्तमान में भी उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक लगानी दर्ज है जबकि विधिनुसार जब उक्त आराजी वादी के पिता भोलू पुत्र गंगाराम को आवंटित हुई थी एवं नामान्तकरण संख्या 43 व नामान्तकरण संख्या 259 तस्दीक होने के पश्चात विधिक प्रभाव से उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार हो गये थे एवं वादी उनका विधिक वारिश होने से विरासत के आधार पर उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार हो गया एवं वादी को यह विधिक अधिकार है कि वह अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम अमल दरामद करवा लेवे। वादी ने अपने नाम आराजीयात दर्ज करवाने के लिए जब दिनांक 11.02.2011 को श्रीमान तहसीलदार मौजमाबाद को निवेदन किया तो उन्होने अवगत करवाया की इसके लिए तुम्हे सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू में घोषणा का वाद प्रस्तुत करना होगा इसलिए श्रीमान् के समक्ष यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा कि वाद बाबत घोषणा स्वीकार फरमाया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 813 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 816 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादग्रस्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करे न ही किसी अन्य से करावे। राजस्व रिकॉर्ड में डिक्री अनुसार अमल दरामद करने बाबत तहसीलदार को लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। वकील वादी द्वारा दिनांक 27.02.2012 को पी.डब्ल्यू–1 भारमल पुत्र भोलू, पी.डब्ल्यू–2

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

हीरालाल पुत्र रंगलाल, पी.डब्ल्यू–3 हरदीन पुत्र लादू के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये जाकर बयान लिये गये। दिनांक 13.04.2015 को तहसीलदार दूदू की ओर से पैरोकार राज0 में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

तहसीलदार दूदू ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पानवाकलां का खसरा नंबर 813, 816 कुल किता 2 रकबा 1.03 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 727, 730 रकबा 4.01 बीघा वर्तमान जमाबंदी में सरकारी खाते में लगानी दर्ज है। वादी के पिता भोलूराम पुत्र गंगाराम को उक्त भूमि आर.टी.एक्ट की धारा 15 के तहत प्राप्त हुई थी जिसका गैर खातेदारी नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 19.01.61 एवं 259 दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत् 2033–36 में नामान्तकरण संख्या 259 का अंकन भी किया गया था मगर आगामी चौसाला बनाते समय खसरा नंबर 727, 730 को पुनः सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया। इसी दौरान उक्त भूमि सरकारी होने के कारण हीरालाल पुत्र छोटू रैगर निवासी: सरवा को आवंटन भी हो गई। वादी माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के यहां निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 25/93 भारमल बनाम सरकार प्रस्तुत किया। निर्णय दिनांक 22.11.95 के द्वारा द्वितीय आवंटी हीरालाल पुत्र छोटू रैगर का द्वितीय आवंटन मानते हुए हीरालाल को किया गया आवंटन दिनांक 6.1.93 निरस्त किया गया। वादी के पिता भोल पुत्र गंगाराम जाट को नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 19.01.61 एवं 259 के तहत प्राप्त हुई थी मुताबिक रिपोर्ट आई.एल.आर/पटवारी के भूमि पर वादी का कब्जा है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् जगाबंदिया, नामान्तकरण संख्या 43 व 259, खसरा गिरदावरी, फोटोप्रति आवंटन निरस्त हीरालाल, मिलान क्षेत्रफल, पी.डब्ल्यू–1 भारमल पुत्र भोलू, पी.डब्ल्यू–2 हीरालाल पुत्र रंगलाल, पी.डब्ल्यू–3 हरदीन पुत्र लादू के शपथ पत्र, तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 813 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 816 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर, वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर की आराजीयात सिवायचक दर्ज है। आराजीयात के साबिक खसरा नंबर 727 एवं 730 रकबा 4.01 बीघा थे, जो वादी के पिता भोलूराम पुत्र गंगाराम को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत् आवंटित की गई जिसका नामान्तकरण खुलकर जमाबंदी संवत् 2033–36 में वादी के पिता के नाम अंकन हुआ किन्तु उसके पश्चात आराजीयात त्रुटि से

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

सरकारी खाते में दर्ज हो गई जिस कारण आराजीयात का आवंटन हीरालाल पुत्र छोटू रैगर को कर दिया गया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के यहां निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 25/93 प्रस्तुत की गई जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.95 को निर्णित करते हुये हीरालाल पुत्र छोटू को द्वितीय आवंटी मानते हुये हीरालाल को किया हुआ आवंटन निरस्त कर दिया जिसके पश्चात् आराजीयात सिवायचक दर्ज हुई जो वर्तमान में यथावत है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आराजीयात पर वादी का कब्जा है। पी.डब्ल्यू–2 हीरालाल पुत्र रंगलाल, पी.डब्ल्यू–3 हरदीन पुत्र लादू ने अपने बयानो में वादी के पिता भोलूराम का स्वर्गवास होने, भोलूराम का वादी एकमात्र वारिस होने एवं आराजीयात पर वादी का कब्जा होने का कथन किया है। वादी अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है, न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर तादयास्त आराजीयात खसरा नंबर 813 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 816 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर, वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 813 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 816 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर, वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03/08/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

दूदू

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31: 12

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू

इजलास श्री सावन कुमार चायल (RAS) मुकाम

भारभव पुत्र भोपू जाति जाट बनाम राज सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद

निo पानवांकला दावा बाबत घोषणा व स्थाणिये

मुकदमा नं. 214/2011 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र कुमार एडo

व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री महेन्द्र सिं नाथावत एडo

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अल वादी का वाद स्वीकार किया जाकर

रo नo 813 रका 0.67 है०, 816 रका 0.36 है० कुल किता-2 कुल

रका 1.03 है० वाले ग्राम पानवां तका तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

का वादी मुवलिफ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

निज वाक्ता

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी ...ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/08/2016 सन् को

जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी दूदू

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner